



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2021/को.-19/327-10/2022

दिनांक : 02.02.2022

कार्यालयादेश

महाराष्ट्र राज्य में घटती कोविड-19 के मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण 2021/प्र.क.6/विशि-3 दिनांक 25.01.2022 के आलोक में विश्वविद्यालय की सभी कक्षाएँ दिनांक 16.02.2022 से ऑफलाइन/ऑनलाइन सम्मिश्र (Blended Mode) से संचालित होगी।

जिन विद्यार्थियों ने कोविड-19 रोधक दोनों टीके लगाये हैं उन्हें ही ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है। जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगाये हैं वे ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं सम्मिलित हो सकेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
02/02/22

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, सभी कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली